रण सिंह एवं अन्य

बनाम

हरियाणा राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 222/2008)

30 जनवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत एवं पी. सदाशिवम, न्यायाधिपति]

दंड संहिता, 1860- अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406, 323, 506, 148 और 149- पति, उसके माता-पिता, भाई और बहन के विरुद्ध परिवाद-अभियोजन की शुरूआत- पुनरीक्षण में सत्र न्यायाधीश ने मात्र पति के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश दिया- उच्च न्यायालय ने पति के माता-पिता को क्रूरता के लिए जिम्मेदार ठहराया अपील में अनिनिर्धारित किया: जहां तक पति के माता-पिता का संबंध है, उच्च न्यायालय का आदेश अभिकल्पनापूर्ण और बिना कारण दर्शाए किया गया- अतः उस हद तक अपास्त किया जाता है।

कारण लिखित किए जाने की- आवश्यकता पर- विचार किया गया।

शब्द और वाक्यांश- 'दहेज'- दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के संदर्भ में अर्थ।

प्रत्यर्थी संख्या 2 के पूर्वाधिकारी द्वारा धारा 498-ए, 406, 323, 506, 148 एवं 149 भारतीय दंड संहिता में प्रत्यर्थी सं02 के पति, ससुर, सास, देवर और विवाहित ननद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और उसने आरोप लगाया कि वे दहेज के लिए प्रत्यर्थी सं02 को तंग करने के लिए जिम्मेदार थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंम्भ की गई। अभियुक्त द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकओं में, सत्र न्यायाधीश ने पाया कि केवल पति के खिलाफ ही कार्यवाही की जा सकती है, क्योंकि बाकी आरोपियों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनना नहीं पाया गया था। उच्च न्यायालय ने जहां तक जहां तक पति, देवर और ननद का संबंध था उस हद तक सत्र न्यायाधीश के आदेश को मान्य ठहराया। लेकिन सास-ससुर के संबंध में यह पाया कि उन्हें अभियोजित किया जाना चाहिए था, क्योंकि वे दहेज के सामान का दुर्विनियोग कर सकते है और क्रूरता कर सकते हैं। इसलिए ससुर और सास द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

अपील को आशिंक रुप से स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया:

1. उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलार्थी "दुर्विनियोग कर सकते हैं" और "क्रूरता कौन कर सकता है", यह टिप्पणी करने में गम्भीर त्रुटि

कारित की गई। निष्कर्ष अभिकल्पनापूर्ण है। सत्र न्यायाधीश द्वारा एक तर्क संगत आदेश द्वारा यह माना गया था कि यह दर्शाने का कोई आधार नहीं था कि दहेज की मांग की गई थी और कई लोगों को इस मामले में शामिल करने का प्रयास किया गया था। जब उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यों पर आधारित ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जा रहा था तो उसे ऐसे हस्तक्षेप की आवश्यकता के कारणों को इंगित करना चाहिए था। [पैरा 8]

2. कारण आदेश में स्पष्टता लाते हैं। न्यायहितार्थ, उच्च न्यायालय को अपने आदेश में, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, अपने दिमाग के प्रयोग का संकेत देते हुए अपने कारण सामने रखने चाहिए थे। कारणों के अभाव ने उच्च न्यायालय के निर्णय को असंधारणीय बना दिया है। कारण निर्णय लेने वाले के दिमाग से संबंधित विवाद और उस पर आये निर्णय या निष्कर्ष के बीच जीवंत संबंध हैं। कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं। कारणों को दर्ज करने पर जोर इस बात पर दिया जाता है कि जहां निर्णय "स्फिंक्स के गूढ चेहरे" को उजागर करता है, वहीं यह अपनी चुप्पी से, न्यायालयों का अपना अपीलीय कार्य करना या न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति का उपयोग कर निर्णय की वैधता तय करना लगभग असंभव कर देता है। कारण पता होने का अधिकार मजबूत न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है, कम से कम इतना कारण जिससे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले पर दिमाग लगाने का

संकेत होता हो। दूसरा तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष यह जान सकता है कि निर्णय उसके विरुद्ध क्यों गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है, दूसरे शब्दों में, बोलना। "स्फिंक्स का गूढ चेहरा" आमतौर पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत है। [पैरा 9 और 10]

ब्रीन बनाम अमलगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन 1971 (1) ऑल ई.आर.1148; अलेक्जेंडर मशीनरी (डुडले) लिमिटेड बनाम क्रैबट्री 1974 एलसीआर 120- संदर्भित।

3. "दहेज" शब्द को दहेज निषेध अधिनियम,1961 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार, दहेज के तीन अवसर होते हैं। एक शादी से पहले, दूसरा शादी के समय और तीसरा शादी के बाद "किसी भी समय"। तीसरा अवसर अंतहीन अवधि का प्रतीत हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण शब्द "उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में" हैं। अन्य भुगतान जो प्रथागत भुगतान हैं उदाहरणार्थ बच्चे के जन्म के समय या विभिन्न समाजों में प्रचलित अन्य समारोहों में दिया जाने वाला भुगतान "दहेज" शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। [पैरा 7]

सतवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य 2001 (8) एससीसी 633- संदर्भित।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या

222/2008

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के सीआरएल आर.नं.2468/2003. में दिनांक 29.11.2005 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थीयों की ओर से ऋषि मल्होत्रा और प्रेम मल्होत्रा।

प्रत्यर्थी की ओर से राजीव गौड "नसीम" राजेश रंजन, टी.वी. जॉर्ज और चन्द्रशेखर अर्शी।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति दी गई

2. इस अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'कोड') की धारा 401 के तहत कुर्राराम, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है और उसका प्रतिनिधित्व इस अपील में उसकी पुत्री प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा किया जा रहा है, द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए पारित आदेश को चुनौती दी गई है।

3. तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि:

उपरोक्त कुर्राराम द्वारा एक शिकायत दर्ज करवाकर उसमें अपने दामाद

और उसकी बेटी सरोज के पति जसवंत, रणसिंह और राजबाला, वर्तमान अपीलकर्ता जो जसवंत के पिता और माता थे और दो अन्य, जय सिंह और सुमन, जसवंत के भाई और विवाहित बहन द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 498-ए, 406, 323, 506, 148 और 149 के तहत दंडनीय अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया।

शिकायत में कहा गया था कि सरोज की शादी 14.4.1994 को जसवन्त से हुई थी और उपरोक्त आरोपियों द्वारा उसे दहेज के लिए तंग किया जाता था। विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिसार ने शिकायतकर्ता की प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने के बाद, कथित अपराधों के लिए सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने का फैसला किया। जय सिंह, रण सिंह और सुमन द्वारा अलग-अलग पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की गईं, जिसमें कहा गया कि जहां तक उनका संबंध है, कोई अपराध नहीं बनता है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पाया कि उपरोक्त आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और निर्देश दिया कि कार्यवाही केवल जसवन्त के खिलाफ जारी रहेगी।उपरोक्त तरीके से पुनरीक्षण का निस्तारण करने वाले आदेश दिनांकित 04.11.2003 को कुर्राराम ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका में चुनौती दी। उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि जय सिंह और सुमन, जो सिर्फ घर में रह सकते हैं, लेकिन सरोज और जसवंत की वैवाहिक समस्याओं में

हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं है। इसलिए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को उस सीमा तक बरकरार रखा गया था। लेकिन जहां तक अपीलार्थीयों का संबंध है, उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि:

> "हालांकि, जब दहेज का सामान परिवार के बड़े सदस्यों को सौंपा जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि वे रण सिंह और राज बाला यानी पति के पिता और मां को सौंप दिया गया जो दुर्विनियोग कर सकते है। यह वे ही हैं जो कम दहेज या अन्यथा के लिए क्रूरता कर सकते हैं।"

उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस ने पहले एक मामला दर्ज किया था और खारिज रिपोर्ट भेजी थी और उसके बाद कुर्राराम द्वारा परिवाद दायर किया गया जिसमें वह पीडब्लू-1 के रूप में और उसका पुत्र राजेश पीडब्लू-2 के रूप में व सरोज पीडब्लू-3 के रूप में उपस्थित हुए थे।

4. अपीलार्थीयों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा कि दूल्हे के रिश्तेदारों को कुछ प्रथागत वस्तुएं दी गई थीं। उसे 'दहेज' शब्द में समाहित नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किया कि शिकायतकर्ता ने दूर रह रही शादीशुदा बहन और भाई को भी फंसाने की कोशिश की,

जो उन्हें झूठा फंसाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। उच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का भी संदर्भ दिया गया है:

"...वे करीबी रिश्तेदार हैं लेकिन तथ्य यह है कि शिकायतकर्ता द्वारा ऐसे मामलों में यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को फंसाने का प्रयास किया जाता है।"

5. प्रत्यर्थी-राज्य और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को हस्तक्षेप करना चाहिए था और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा उनके समक्ष आक्षेपित आदेश दिनांक 04.11.2003 को अपने आदेश से सही ढंग से अपास्त कर दिया है।

6. दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 2 (संक्षेप में 'दहेज अधिनियम') "दहेज" को निम्नानुसार परिभाषित करता है: - धारा 2. 'दहेज' की परिभाषा- इस अधिनियम में, 'दहेज' से कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यावान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उससे पूर्व [या पश्चात् किसी समय]-

(क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्ष को, या

(ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त

पक्षकारों के विवाह के संबंध में विवाह के समय या उससे पहले या उसके बाद किसी भी समय, लेकिन उन व्यक्तियों के मामले में मेहर या मेहर शामिल नहीं है जिन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) लागू होता है।

स्पष्टीकरण।- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि विवाह के समय किसी भी पक्ष को नकद, आभूषण, कपड़े या अन्य सामान के रूप में दिया गया कोई भी उपहार दहेज नहीं माना जाएगा। जब तक कि उन्हें उक्त पक्षों के विवाह के लिए प्रतिफल के रूप में नहीं बनाया जाता है।

स्पष्टीकरण ॥- अभिव्यक्ति 'मूल्यवान प्रतिभूति' का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 30 में है।"

7. "दहेज" शब्द को दहेज अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार, दहेज से संबंधित तीन अवसर हैं। एक शादी से पहले, दूसरा शादी के समय और तीसरा शादी के बाद "किसी भी समय"। तीसरा अवसर कभी न ख़त्म होने वाला काल प्रतीत हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण शब्द "उक्त पक्षों के विवाह के संबंध में" हैं। अन्य भुगतान जो प्रथागत भुगतान हैं जैसे बच्चे के जन्म के समय या विभिन्न समाजों में प्रचलित अन्य समारोहों में दिया जाने वाला भुगतान "दहेज" शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। (सतवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2001 (8)

एससीसी 633) देखें)।

8. उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलार्थी दुर्विनियोग कर सकते हैं और कौन क्रूरता कारित कर सकता है यह टिप्पणी करने में गंभीर त्रुटि कारित की गई। कम से कम यह तो कहा ही जा सकता है कि निष्कर्ष अभिकल्पनापूर्ण हैं। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा एक तर्क संगत आदेश द्वारा यह माना गया था कि यह दर्शाने का कोई आधार नहीं था कि दहेज की मांग की गई थी और कई लोगों को इस मामले में शामिल करने का प्रयास किया गया था। जब उच्च न्यायालय द्वारा तथ्यों पर आधारित ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया जा रहा था तो उसे ऐसे हस्तक्षेप की आवश्यकता के कारणों को इंगित करना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया है और इसके विपरीत अभिकल्पिनापूर्ण निष्कर्षों पर विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश को अपास्त कर दिया गया है।

9. कारण आदेश में स्पष्टता लाते हैं। न्यायहितार्थ, उच्च न्यायालय को अपने आदेश में, चाहे वह कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, अपने दिमाग के प्रयोग का संकेत देते हुए अपने कारण सामने रखने चाहिए थे। कारणों के अभाव ने उच्च न्यायालय के निर्णय को असंधारणीय बना दिया है।

10. प्रशासनिक आदेशों के संबंध में भी ब्रीन बनाम अमलगमेटेड इंजीनियरिंग यूनियन (1971 (1) ऑल ई.आर. 1148) में लॉर्ड डेनिंग

एम.आर. ने माना, "कारण बताना अच्छे प्रशासन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है"। अलेक्जेंडर मशीनरी (डुडले) लिमिटेड बनाम क्रैबट्री (1974 एलसीआर 120) में यह माना गया: "कारण बताने में विफलता न्याय से इंकार करने के बराबर है"। कारण निर्णय लेने वाले के दिमाग से संबंधित विवाद और उस पर आये निर्णय या निष्कर्ष के बीच जीवंत संबंध हैं। कारण व्यक्तिपरकता को वस्तुनिष्ठता से प्रतिस्थापित करते हैं। कारणों को दर्ज करने पर जोर इस बात पर दिया जाता है कि जहां निर्णय "स्फिंक्स के गूढ चेहरे" को उजागर करता है,वहीं यह अपनी चुप्पी से, न्यायालयों का अपना अपीलीय कार्य करना या न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति का उपयोग कर निर्णय की वैधता तय करना लगभग असंभव कर देता है। कारण पता होने का अधिकार एक मजबूत न्यायिक प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है, कम से कम इतना कारण जिससे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले पर दिमाग लगाने का संकेत होता हो। दूसरा तर्क यह है कि प्रभावित पक्ष यह जान सकता है कि निर्णय उसके विरुद्ध क्यों गया है। प्राकृतिक न्याय की हितकारी आवश्यकताओं में से एक आदेश के कारणों को स्पष्ट करना है, दूसरे शब्दों में, बोलना। "स्फिंक्स का गूढ चेहरा" आमतौर पर न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रदर्शन के साथ असंगत है।

11. यह ध्यान दिए जाने योग्य है कि उच्च न्यायालय ने स्वयं माना है कि कई व्यक्तियों को फंसाने का प्रयास किया गया था और उनके द्वारा

विवाहित बहन और भाई के उन्मोचन के विपरीत कोई तर्क या आक्षेप नहीं पाया गया।

12. उपरोक्त स्थिति के अनुसार, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को प्रभावी नहीं रखा जा सकता है और उसे अपास्त किया जाता है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि जहां तक पति जसवंत का सवाल है, हमने इस संबंध में गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

13. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

के.के.टी.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अंकिता चन्द्रावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।